विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत अनुज्ञापत्र पंजीकरण एवं नवीनीकरण के संबंध में दिशा निर्देश

सर्वप्रथम सभी प्रतिष्ठानों /व्यवसायों के उद्यमी राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निकटतम जिला कार्यालय में स्वयं या ऑनलाइन Website: http://br.raj.nic.in बिजनिस रजिस्ट्रेशन के आवेदन पत्र में विधिक नाम, व्यावसायिक संस्था का प्रकार, मुख्य व्यवसाय का पता साक्ष्य सहित इत्यादि भरकर निःशुल्क 16 अंकों का बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त करके उद्यमी प्रतिष्ठान /व्यवसाय के पंजीकरण हेतु संबंधित पंजीकरण अधिकारी को निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर की SSO ID बनाते समय अनिवार्य रूप से आवश्यकता रहेगी।

आपको Website: Consumeraffairs.raj.nic.in पर जाकर नीचे दायी तरफ Single Window Clearance System के Icon पर जाकर आपको SSO ID बनाने हेतु New User पर Click करना है। उसके पश्चात् आप उसमें दी गयी सूचनाएं भरकर अपडेट करे, इसके पश्चात् आपकी SSO ID बन जायेगी।

यदि आप विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निर्माता/व्यवहारी/मरम्मतकर्ता के लिए अनुज्ञापत्र अथवा पैकेज्ड कमोडिटी नियम, 2011 के अन्तर्गत पैकर पंजीकरण एवं नवीनीकरण के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहता है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेः–

SSO ID बनने के पश्चात् Legal Metrology (Online Application) पर जाकर अपनी SSO ID के द्वारा Login करे तत्पश्चात् Single Window System के Icon पर Click करना है। उसके पश्चात् बायी तरफ Icon पर जाकर I want to submit a new application पर Click करना है उसके पश्चात् I will select the service(s) पर जाकर Click करना है उसके पश्चात् Ok पर Click करना है। इसके पश्चात् पर Screen पर विभिन्न विभागों के नाम प्रदर्शित होगें उसमें आपको Consumers Affairs (Legal Metrology) पर Click करना है।

Legal Metrology पर Click करने पश्चात् आपको निम्नलिखित 7 Application प्रदर्शित होगें :–

1.	License of Manufacturer	Apply
2.	License of Dealer	Apply
3.	License of Repairer	Apply
4.	Registration of Packer/Manufacturer	Apply

5. Renewal of License of Manufacturer Apply

6. Renewal of License of Dealer Apply

7. Renewal of License of Repairer Apply

उपर्युक्त 7 Application में से जिस Application का आप चयन करना चाहते है, उसके सामने दिये गये Link Apply पर click करें। 1 जनवरी, 2018 से सभी प्रतिष्ठानों /व्यवसायों के उद्यमी को बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर करवाना अनिवार्य है। विधिक मापविज्ञान से सम्बंधित अनुज्ञा पत्र जो पूर्व में ऑफलाइन जारी हो रखे है उनके डाटा वर्तमान में वेबसाइट पर उपलब्ध नही होने के कारण उनके अनुज्ञा पत्रो का नवीनीकरण रजिस्ट्रेशन के विकल्प के माध्यम से किया जाना है। अगले वित्तीय वर्ष में अनुज्ञा पत्रो का नवीनीकरण करने के लिए नवीनीकरण के विकल्प का उपयोग किया जायेगा।

उसके पश्चात् संबंधित सेवा का आवेदन पत्र आपको Screen पर प्रदर्शित होगा । सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची आवेदन पत्र में उल्लेखित/निम्नलिखित है।

List of Documents Attached

1.	Proof of Ownership of Manufacturing/Partnership or individual (*)	Upload File.
2.	ID Proof - Aadhar Card/PAN Card etc. (*)	Upload File.
3.	Electricity Connection Proof (*)	Upload File.
4	Model approval certificate	Upload File.
5	The Monogram or Trade Mark intended to be imprinted on weights and measures etc.	Upload File.
6.	Details of Machinery, Tools, Accessories, Owned and Used for manufacturing weights measures etc.	Upload File.
7	Details of Manufacturing facilities arranged whether Ownership, Long Term Lease etc. r other means.	Upload File.
8	Facilities of steel casting and Hardness testing of vital parts etc. or other means.	Upload File.
9.	Details of Loan received from Government or financial institution.	Upload File.
10	VAT/GST/Sales Tax Registration Number/CST Number Professional Tax Registration Number/IT Number.	Upload File.

Note:

1. Valid File Type: JPG/JPEG/PNG/BMP/GIF/PDF. Max File Size: 512 KB per attachment.
2. (*) Attachment is Mandatory.

संबंधित दस्तावेजों का Screen PDF, JPEG, PNG फाइल में अपलोड करे। **तारांकित (*) प्रविष्टियों की पूर्ति अनिवार्य है।** समस्त प्रविष्टियों की पूर्ति करने के पश्चात् आपको आपके

दिये गये मोबाइल नम्बर पर यूनिक आईडी नम्बर मिल जायेगा, जिसे द्वारा आप अपने आवेदन पत्र की विभाग में की जा रही कार्यवाही ट्रेकिंग कर सकेंगे।

इसके पश्चात् आपके आवेदन पत्र की जांच प्रथम स्तर पर लिपिक/अधिकारी द्वारा की जायेगी। यदि आपका आवेदन पत्र सभी आवश्यक प्रविष्टियों एव दस्तावेजों के साथ पूर्ण पाया जाता है तो Clerk / Assistant Controller, District के स्तर से अनुमोदन कर अगले स्तर Deputy Controller (DC) के स्तर पर भेज दिया जायेगा। यदि आवेदन पत्र सही पाया जाता है तो आवदेन पत्र आवेदन कर्ता को फीस भरने के लिये भेजा जायेगा । अन्यथा पुनः आवेदन कर्ता को कमी के साथ पुनः आवेदन कर्ता को भेज दिया जायेगा। आवेदनकर्ता को फीस भरने के लिये आवेदन में अन्त में Make Payment का विकल्प आ जायेगा ।

आवेदनकर्ता के द्वारा फीस जमा करा दिये जाने के पश्चात् आवदेन पत्र उप नियन्त्रक के पास जायेगा जिसके अनुमोदन के पश्चात् अनुज्ञा पत्र /पंजीयन पत्र इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर द्वारा बन जायेगा जिसे आवेदन कर्ता डाउनलोड कर सकेगा।

आवेदनकर्ता द्वारा अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र में Yes/No का option प्रदर्शित होगा जिसमें Yes के option पर click करने के पश्चात् उसमें आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन में दी गयी सूचनाओ की पूर्ति करेगा। पूर्ति करने के पश्चात् आवेदनकर्ता से निर्धारित फीस जमा कराने हेतु option प्रदर्शित होगा। फीस निर्धारित माध्यम द्वारा जमा कराने के पश्चात् आवेदनकर्ता का अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण सक्षम अधिकारी द्वारा कर दिया जायेगा।

आवेदनकर्ता अपनी SSO ID के बिना Single Window Clearance System के Information Icon पर Click करके बायीं तरफ तीसरे नम्बर के Track/ User Verify Application के Icon पर Click करके अपना Application Number डालकर अपनी Application का Status Track कर सकता है।

इसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता अपनी SSO ID के बिना Single Window Clearance System के Information Icon पर Click करके बायीं तरफ दूसरे नम्बर की Row में तीसरे नम्बर के Validate your certificate Application के Icon पर Click करना है उसके पश्चात् Screen पर URL http://swcs.rajasthan.gov.in/Verifycertificate.aspx प्रदर्शित होगा। उसमे आवेदनकर्ता को Food and Civil Supply Icon पर Click करना है। Click करने के बाद आवेदनकर्ता Application/Certificate Number डालकर अपना Certificate Download/Verify कर सकता है। कोई भी Third Party इस पर Click करके Verify कर सकता है।